डिक्री मूल वाद पत्र
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 42/2025

प्रदीप पुत्र सतपाल जाति जाट साकिन 3 एचडीपी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादी

बनाम

1. गोगादेवी पत्नी सतपाल जाति जाट साकिन 3 एचडीपी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. मनिता पुत्री सतपाल पत्नी भानुनाथ जाति सिंद्व साकिन मलकीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान।
3. इन्द्रा पुत्री सतपाल पत्नी कृष्ण सिंह जाति सिंद्व साकिन मलकीसर तहसील लुनकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान।
4. लिछमादेवी पुत्री सतपाल पत्नी भादरनाथ जाति सिंद्व साकिन मलकीसर तहसील लुनकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान।
5. सन्तोष पुत्री सतपाल पत्नी प्रेमकुमार जाति सिंद्व साकिन धोलपालिया तहसील ऐलनाबाद जिल0 सिरसा हरियाणा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादी की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री राजेन्द्र पटीर अधिवक्ता व राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा इस वाद मे **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् **पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष** अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया **जाकर डिक्री की** जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वाद निम्नानुसार घोषणा की जाती है:–

प्रतिवादी सं. 1 के पति के **नाम कृषि भूमि तहसील के पीलीबंगा के चक 3** एच.डी.पी के खाता सं. 115/99 के प.नं. 7/252 (7) के किला नं. 1/1, 1/4, 2/1, 2/2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 की कुल **2.467 हैक. नहरी मय गै.मु. रास्ता खातेदारी में से** 1..202 है. व प्रतिवादी सं. 1 के पति के नाम कृ[illegible] 5 एच.डी.पी के खाता सं. 83/68 के प.नं. 5/251 (14) के किला नं. 15 [illegible] 6/252 (26) के किला नं. 23/1, 24, 25/1, 25/2 की कु[illegible]दारी भूमि का वादी को काश्तकार **खातेदर घोषित** [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार **घोषित किया** [illegible] कलमजन किया जा[illegible]

तहसीलदार **राजस्व पीलीबंगा** को आदेशित किया जा[illegible] कि उक्त वर्णित भूमि घग[illegible] विभाग, जोहड **पायतन**, **आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई** स्थगन आदि न होनें, धारा 16 **आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें** तथा किसी प्रकार के **राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे** अंकन किया जाकर **अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा** नहरी / बारानी /

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.09 17:44:57 IST
Reason: SelfAttested

गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 28/5/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.09 17:44:57 IST
Reason: SelfAttested